न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 3646 / 2004 / झुन्झुनू

1—रामचन्द्र पुत्र छोटूराम
2—जगमाल सिंह पुत्र जयनारायण जाति अहीरान निवासी ग्राम अमरसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू ——अपीलांट्स

बनाम

1—हंसराम पुत्र प्रहलादसिंह
2—अशोक कुमार पुत्र बलवीर
3—जगदीश पुत्र बलवीर
4— जिलेसिंह पुत्र बलवीर
5—मु0 नारा पुत्र बलदेवाराम
7—बनवारी पुत्र बलदेवाराम
8—बलवान पुत्र रतिराम
9—विक्रम पुत्र रतिराम
10— भगवती पत्नि रत्तीराम समस्त जाति अहीरान निवासी ग्राम अमरसर तहसील बुहाना जिला झुझूनू
2—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू
——रैस्पोडेंट्स

खण्डपीठ
श्री आर.डी.मीणा , सदस्य
श्री एल.आर. गुगरवाल,सदस्य

उपस्थितः—
श्री सतीश पारीक अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
श्री सोहनपाल सिंह चौधरी, अभिभाषक रैस्पोडेंट्स की ओर से

निर्णय

दिनांकः 21—06—2022

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी,सीकर द्वारा अपील संख्या 72 / 2003 बउनवानी रामचन्द्र बनाम हंसराम आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2004 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 10 ने प्रतिवादीगण संख्या 11 राज्य सरकार के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी के समक्ष घोषणा व दुरुस्ति का वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अमरसर स्थित भूमि खसरा नम्बर 58 की रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा के खातेदार हैं। इस भूमि के हाल खसरा नम्बर 132, 133, 134, 136 बने हैं। गत खसरा नम्बर के अनुसार हाल खसरा नम्बर का माप 6.87 हैक्टर बनता है परन्तु नक्शा ट्रेस में 6.79

हैक्टर ही दर्ज किया गया है । अतः वादी का वादी स्वीकार कर वाद में वर्णित दुरुस्ति के आदेश प्रदान करें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी राज्य सरकार प्रतिनिधि तहसीलदार बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर वादी की साक्ष्य व सबूत प्राप्त करने के बाद, वाद में सुनवाई करके वादी का वाद डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश करते हुए अपील पेश करने की अनुमति मांगते हुए अपील पेश की गई। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपीलांट्स की अपील दिनांक 12–5–2004 को खारिज करदी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स की ओर से यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों के वाक्यात को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 10 के पक्ष में दिनांक 5–5–2003 को दावा डिक्री करके अपीलांट का रकबा बिना किसी विधिक आधार के कम कर दिया है। अपीलांट्स पुराने खसरा नम्बर 58 की रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा के खातेदार हैं। इस भूमि के हाल खसरा नम्बर 132 का रकबा 5.75 हैक्टर,खसरा नम्बर 133 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.04 हैक्टर,खसरा नम्बर 136 रकबा 0.99 हैक्टर बने हैं, इसको सही मानकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है । उनका तर्क है कि विवादित आराजी के उत्तर में स्थित रास्ता, जिसके खसरा नम्बर 59 रकबा 17 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 102/1 रकबा 0.25 हैक्टर बने हैं, 17 बिस्वा का रकबा 0.21 हैक्टर बनता है, इस कारण रास्ते का रकबा नये रिकार्ड के अनुसार 0.04 हैक्टर अधिक दर्ज होकर आया था, इन सभी बातों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। उनका आगे तर्क है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा यह ऐजराज उठाया गया था कि रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 10 के पुराने खसरा नम्बर के अनुसार 27 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी जिसके नये खसरा नम्बर 132,133,134 व 136 बने है, जिनका कुल रकबा 6.79 हैक्टर बना है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट्स को 0.08 हैक्टर का खातेदार घोषित किया है, इसमें रास्ते की भूमि 0.04 हैक्टर जोड़ कर दी जाती है तो 0.08 हैक्टर और 0.04 हैक्टर का कुल रकबा 0.12 हैक्टर अधिक होने के कारण उन्हें खातेदारी प्रदान की गई है ,जो निरस्त किये

जाने योग्य है। यह कि राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपीलांट द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर के उत्तर में स्थित रास्ता का गत खसरा नम्बर 59 व हाल खसरा नम्बर 102/1 के उत्तर में अपीलांट की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 79 व 80 रकबा 2.69 व 2.64 हैक्टर, 81 रकबा 4.80, 85 रकबा 2.31 कुल किता 4 रकबा 12.52 हैक्टर बनते हैं जिनका नये नक्शा के अनुसार रकबा सही नहीं बैठता है। करीब 0.12 हैक्टर करबा कम बैठता है, जबकि पुराने खसरा नम्बर से रकबा के अनुसार नया रकबा सही दर्ज है ,रकबे के अनुसार नया नक्शा सही नहीं है। नक्शे में खसरा नम्बर 79 व 80 का रकबा 0.12 हैक्टर कम बैठता है जो रकबा खसरा नम्बर 102/1 रकबा 0.4 हैक्टर व पुराना खसरा नम्बर 58 रकबा 6.79 हैक्टर 27 बीघा 3 बिस्वा का रकबा 6.79 हैक्टर की बजाय खसरा नम्बर 58 के नये नम्बर 132,133,134,136 रकबा 6.87 रकबे में शामिल हो गया है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजी में अपीलांट के हक प्रभावित होते हुए भी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया। आवश्यक पक्षकार की प्रकरण में विधिवत रुप से सुनवाई नहीं हुई है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। उक्त बिन्दु पर दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने गौर नहीं किया है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से अपील स्वीकार कर, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया गया। अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने तर्कों के समर्थन में 2013 आरआरटी पेज 444 व 2014 आरआरडी पेज 1041 के न्यायिक उद्धरण पेश किये।

5— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए तर्क दिया कि साबिक खसरा नम्बर 58 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 132, 133, 134, 136 बने हैं जिनका रकबा 6.87 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। गत खसरा नम्बर 59 रकबा 17 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता था जिसके हाल खसरा नम्बर 102/1 रकबा 0.25 हैक्टर दर्ज किया गया है। जमाबन्दी में गत से हाल खसरा नम्बर में कोई विवाद नहीं है। गत खसरा नम्बर 17 का रकबा 0.21 हैक्टर बनता है जबकि जमाबन्दी में 0.25 हैक्टर दर्ज है। अर्थात 0.04 हैक्टर रकबा अधिक दर्ज है। उनका तर्क है कि सैटलमेंट में गलती हुई है ,जिसको दुरुस्त करने के लिए भू अभिलेख की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी ही दुरुस्त कर सकता है। उनका तर्क है कि

अपीलांट धारा 96 का लाभ नहीं ले सकते हैं। अपीलांट्स से इमदाद नहीं चाही गई थी इसलिए इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था। धारा 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का लाभ भी यहॉ प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलांट्स प्रभावित पक्षकार नहीं हैं। अभिभाषक रेस्पोडेंट्स की ओर से दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि अपीलांट्स द्वारा प्रकरण संख्या 47/2002 जगमाल बनाम सरकार उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में दायर किया था जो दिनांक 12–12–2005 को खारिज किया गया। रेस्पोडेंट्स ने अपनी भूमि का रकबा दुरुस्त करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसे स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विस्तृत व समवर्ती हैं, जिनमें हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 2007 पेज 587 के उद्धरण पेश किये।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया गया। परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादीगण का मुख्य तर्क यह रहा है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का रकबा गत खसरा नंबर के रकबा के अनुसार सही है। लेकिन हाल नक्शा ट्रेस छोटा बना दिया। जब हाल नक्शा ट्रेस से वर्तमान खसरा नम्बर 132,133,134 व 136 की नपति की जाती है तो इनका रकबा 6.87 हैक्टर पूरा नहीं होता है बल्कि 6.62 हैक्टर ही रकबा बनता है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित फर्द मौका सीमा ज्ञान प्रदर्श 7 हाल खसरा नम्बर 102/1 गैर मुमकिन रास्ता का रकबा 0.48 हैक्टर बनता है। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श 7 के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस से खसरा नम्बर 102/1 की नपति करते हैं तो यह कहीं 7 मीटर,कहीं 8 मीटर कहीं 9 मीटर तो कहीं 10 मीटर चौडा है जो 612 मीटर लम्बाई में है जबकि हाल खसरा नंबर 102/1 के गत खसरा नंबर 59 का रकबा 17 बिस्वा था एवं 17 बिस्वा का हैक्टर में माप करने पर 0.21 हेक्टर बनता है जबकि जमाबन्दी में 0.25 हैक्टर अंकित किया गया है एवं नक्शे से नाप करते हैं तो यह रकबा 0.48 हैक्टर से भी अधिक बनता है। इसलिये रास्ते में 0.24 हैक्टर भूमि केवल नक्शा ट्रेस की आकृति में

गत खसरा नम्बर 58 को शामिल करते हुये नक्शा बनाया है जिसे दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है।

7— पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गत खसरा नंबर 58 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 132, 133, 134 व 136 बने है एवं गत खसरा नम्बर 59 रकबा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 102 / 1 बने हैं। गत खसरा नम्बर 59 रास्ता का रकबा 17 बिस्वा था हाल बन्दोबस्त ने इसका रकबा 0.25 हैक्टर दर्ज किया है जबकि 17 बिस्वा का हैक्टर में माप 0.21 हैक्टर ही होती है एवं इस प्रकार रास्ते का रकबा 0.04 हैक्टर अधिक दर्ज किया गया है। इससे स्पष्ट है कि हाल बन्दोबस्त ने नक्शा प्रदर्श —9 गलत बना दिया है जिसका बन्दोबस्त विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री के अधिकार नहीं था।

8— हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद बीघा और बिस्वा से हैक्टर में परिवर्तन को लेकर है। अपीलांट का यह तर्क कि उनके खाते की भूमि रेस्पोडेंटस को दी गयी है लेकिन रेस्पोडेंट्स का यह कथन है कि हमने इनके खाते की भूमि प्राप्त नहीं की है बल्कि हमारे पूर्व रिकार्ड की भूमि हमारे खाते में थी वही भूमि हमारे खाते में दर्ज की जाकर सर्वेसीट को दुरुस्त करने का आदेश विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक और तथ्यात्मक त्रुटि नही है। चूँकि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में वादीगण की ओर से कोई भी इमदाद नहीं चाही गयी है और न ही इनके विरुद्ध कोई इमदाद दी गयी है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने पटवारी हल्का को मौके पर भेज कर फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 9—12—2002, नक्शा ट्रेस नक्शा सर्वेसीट आदि प्राप्त करने के वाद ही निर्णय पारित किया गया है। इन सभी के अवालेकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेंटस के खाते की आराजी 27 बीघा 3 बिस्वा का रकबा 6.87 हैक्टर बना है जबकि सर्वे सीट में 6.79 दर्ज किया गया है जो एक तकनीकी त्रुटि दिखाई देती है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ही अपना विस्तृत निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया गया है, जिसकी पुष्टि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपना विस्तृत निर्णय पारित करते हुए की है, दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री समवर्ती है। उक्त समवर्ती निर्णय व डिक्री में हम हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अपीलांट्स पक्ष

की ओर से प्रस्तुत 2013 आरआरटी पेज 444 व 2014 आरआरडी पेज 1041 के न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करते हैं। परिणामस्वरुप हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री क्रमशः 05—05—2003 व 12—05—2004 यथावत रखे जाते हैं।

(एल.आर. गुगरवाल) (आर.डी.मीणा)

सदस्य सदस्य

,

6— इस प्रकरण का मुख्य विवाद यह है कि परीक्षण न्यायालय ने समस्त प्रभावित पक्षकारों को दावा संख्या 50 / 10 में पक्षकार बनाये बिना अपना निर्णय व डिक्री पारित किया है वह उचित है अथवा नहीं तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा दावे में अपनाई गयी विधिक प्रक्रिया समुचित है अथवा नहीं? इस बिन्दु को निर्णित कियाजाना आवश्यक है।

7 परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सं. 2005 प्रदर्श—1 के अनुसार विवादित आराजी कीरतमल पुत्र खानचन्द गैरखातेदार तथा बकाश्त गिरधारी, श्योपाल, हुकमचन्द, यादराम, मातादीन व बनेसिंह पुत्रान जयराम के नाम का अंकन है। दावा केवल कीरतमल के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। यह तथ्य सही है कि दावा दायर करने की दिनांक को कीरतमल की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए उसके विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 1—5 बनाया

गया है। लेकिन शिकमी काश्ताकार को दावे में पक्षकार नही बनाया गया है। शिकमी काश्तकार दावे मे हक व अधिकार रखता है। इसलिए वे दावे के आवश्यक पक्षकार है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि परीक्षण न्यायालय ने दावे में जो विधिक प्रक्रिया अपनाई है वह समुचित है अथवा नहीं। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट के अवलोकन से यह भलीभॉति स्पष्ट होता है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष दावा दिनांक 13–4–10 को प्रस्तुत किया गया। उसी दिन दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने के आदेश हुए व आगामी तारीख 15–4–10 निश्चित की गयी अर्थात नोटिस तामील के लिए केवल दो दिन का ही समय दिया गया है। दिनांक 15–4–10 को नोटिस की सूचना पूर्ण मान कर प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दे दिये। इसके बाद एक प्रार्थना पत्र वादी द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे उसी दिन स्वीकार कर लिया गया तथा तहसीलदार किशनगढबास को मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश दिये गये। आगामी तारीख 19–4–10निश्चित की गयी। दिनांक 19–4–10 को तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी। तहसीलदार का जबाव पेश हो गया। इसके बाद आगामी तारीख 21–4–10 निश्चित की गयी। दिनांक 21–4–10 को तनकी कायम की गयी। उसी दिन वादीगण के बयान हुए व मिसिल दिनांक 22–4–10 बास्ते बहस निश्चित की गयी। दिनांक 22–4–10 को बहस सुनी गयी व आगामी तारीख 23–4–10बास्ते निर्णय नियत की गयी। दिनांक 23–4–10 को निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही केवल 7 दिन के अन्दर ही पूर्ण कर दी गयी। जो परीक्षण न्यायालय ने प्रक्रिया अपनाई गयी है वह विधिक प्रक्रिया समुचित नहीं कही जा सकती है। अधिवक्ता रैस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत कानूनी नजीर AIR-2010 (SC)- page 1937
का अवलोकन किया गया जिसमें यह वर्णित किया गया है किः–

para 26-This Court has consistently held that" when a thing is done in a post-haste manner,mala fide would be presumed." Anything done in undue haste can also be termed as " arbitrary and cannot be condoned in law." इस बिन्दु पर वकील अपीलांट का तर्क था कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने तनकीवाइज निर्णय पारित नही किया है।इस बिन्दु पर दोनो पक्षकारों के अधिवक्तागण की बहस तथा प्रस्तुत कानूनी नजीरों के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलाता है कि उपखण्ड अधिकारी

ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–4–10 विधि के प्रावधानों व विधिक प्रक्रिया की अवहेलना कर पारित किया है। इसी आधार पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 9–11–12 द्वारा अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–4–10 निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। वकील रैस्पोडेंट ने आरआरटी 2009 (1)पेज 638, आरआरटी 2009 (2) पेज 1425, आरआरटी 2009 (2) पेज 1253 (एससी) आरआरटी 2015 (2) पेज958, आरआरडी 2001 पेज 01, आरआरटी 2009 (2) पेज 677 (एससी) के न्यायिक दृष्टात प्रस्तुत किये हैं, जिनका अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में वखूबी लागू होते है, लेकिन यह अपील प्रतिवादी/रैस्पोडेट द्वारा प्रस्तुत नही की गयी है। इसलिए इन न्यायिक दृष्टान्तों को यहॉ लागू नही किया जा सकता है। रैस्पोडेंट उक्त न्यायिक दृष्टान्तों को परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि अपीलीय न्यायालय ने तनकीवाइज निर्णय पारित नही किया है, मानने योग्य नही है क्योकि अपीलीय न्यायलय ने प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय पारित नही किया है केवल विधिक प्रक्रिया के आधार पर ही अपील स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किया है। फलस्वरुप अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नही करते। परिणामस्वरुप अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(अशोक कुमार सांवरिया)
सदस्य

अपील / डिक्री / टी.ए. / 3646 / 2004 / झुन्झुनू

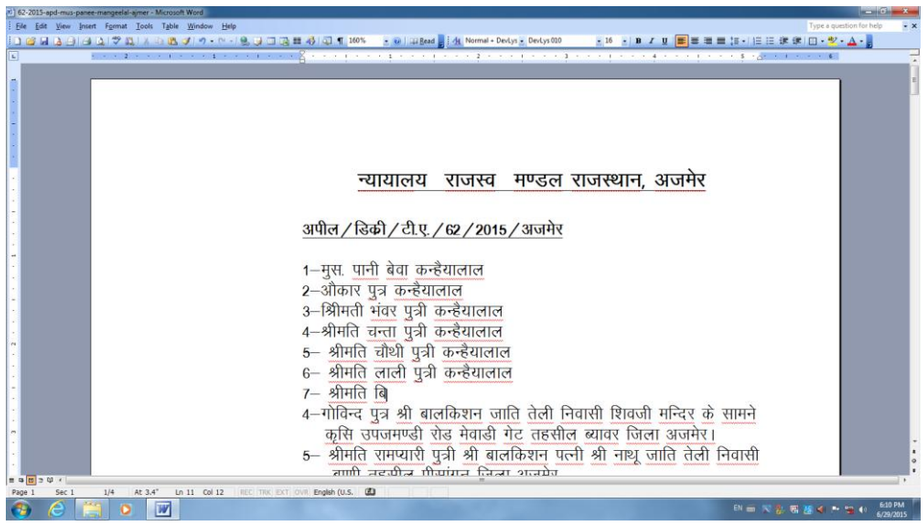

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 62 / 2015 / अजमेर

1–मुस. पानी बेवा कन्हैयालाल
2–ओंकार पुत्र कन्हैयालाल
3–श्रीमती भंवर पुत्री कन्हैयालाल
4–श्रीमति चन्ता पुत्री कन्हैयालाल
5– श्रीमति चौथी पुत्री कन्हैयालाल
6– श्रीमति लाली पुत्री कन्हैयालाल
7– श्रीमति वि
4–गोविन्द पुत्र श्री बालकिशन जाति तेली निवासी शिवजी मन्दिर के सामने कूसि उपजमण्डी रोड मेवाडी गेट तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5– श्रीमति रामप्यारी पुत्री श्री बालकिशन पत्नी श्री नाथू जाति तेली निवासी

बनाम

श्री अशोक कुमार,सदस्य
श्री बी. एस. गर्ग, सदस्य

उपस्थितः–
(1)श्री शान्तीप्रकाश ओझा अधिवक्ता अपीलांट।
(2)श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(3)श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(4)श्री अशोक नाथ अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(5)श्री एस.के. सेठी अधिववक्ता रैस्पो. की ओर से

निर्णय

दिनांकः जुलाई, 2015

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित

<u>अपील/डिक्री/टी.ए./3646/2004/झुन्झुनू</u>

निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–1–10 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है जिसके व्दारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–08 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 3/09 उनवानी माधु आदि बनाम गोविन्द आदि को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकरी, ब्यावर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–10–08 निरस्त किया जाकर वाद वादी संख्या 77/08 को स्वीकार किया गया है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण /रैस्पो. संख्या 1ता 4 ने एक दावा संख्या 33/07 अन्तर्गत धारा 53–183–188 आरटीए उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधो आदि ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 13 से बने हाल खसरा नम्बर 35 की 2.04.10 बीघा भूमि (अपील में विवादित आराजी कहा जावेगा) वादीगण के पूर्वज मोडालाल पुत्र सूरजमल थे, जिसकी मृत्यु के बाद यह आराजी उसके पुत्र ईश्वरचन्द को प्राप्त हुयी और ईश्वरचन्द की मृत्युके बाद विवादित आराजी उसके पुत्र छोटूलाल को प्राप्त हुई और छोटूलाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बल्देव को प्राप्त हुई। बल्देव के दो पुत्र ख्याली व चुन्नीलाल हुए। वादीगण चुन्नीलाल के उत्तराधिकारी है। ख्याली के एक पुत्र बालशिन हुआ। बालकिशन के प्रतिवादी संख्या 1से 7 उत्तराधिकारी हुए। राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम से अंकित है। प्रतिवादीगण का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा । विवादित आराजी पर हमेशा से ही कजा वादीगण का चला आ रहा है। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पूर्ण विवादित आराजी के खातेदार हो चुके है। विकल्प में निवेदन किया कि बल्देव की मृत्यु के बाद भूमि ख्याली व चुन्नीलाल को प्राप्त हुई थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड में केवल प्रतिवादीगण का नाम ही अंकित है। विकल्प के रुप में यह अनुतोश मांगा कि वादीगण 1/2 हि. जो विरासत में चुन्नीलाल को प्राप्त होनी थी ,का खातेदार काश्तकार घोसित किया जावे। विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जाकर वीदगण के नाम का अंकन किया जावे तथा 1/2 हि. का विभाजन कर कब्जा दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण /रैस्पो. अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ने दिनांक 21–7–07 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण/रैस्पे0 संख्या 1–4व्दारा प्रस्तुत दावे में दावे के आधार दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं तथा विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता बालकिशन व्दारा जरिये रजि. विक्रय पत्र क्रय की गयी है,जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। दावे के आधार दस्तावेज पेश नही होने के कारण दावा संधारण योग्य नही है, इसलिए दावा खारिज किया जावे। प्रार्थना पात्र का वादीगण/रैस्पोडेंटस ने जबाव पेश किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–8–07 व्दारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 के विरुद्ध वादीगण/ रैस्पो0 1ता4 ने प्रथम अपील संख्या 199/07 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–1–08 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय व्दारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 खारिज कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेसित कर दिया कि वाद में तनकी कायम कर दोनो पुक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। रिमाण्ड प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्राप्त होने पर दावा संख्या 17/08 उनवानी गोविन्द आदि

बनाम माधू आदि दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही प्रारंभ की व अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 21–10–08 व्दारा दावा खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 3 / 09 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधु आदि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–5–10 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 खारिज कर दिया तथा वादी वादी स्वीकार कर वादीगण / रैस्पो. को 1 / 2 हि. का खातेदार काश्तकार घोसित कर दिया। तथा परीक्षण न्यायालय को विभाजन कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेसित कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–5–10 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्षीय अधिवक्तागण की अपील गुणावगुण पर बहस सुनी गयी।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–4–2009 में कोई त्रुटि नहीं पाते, लिहाजा, अपील खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–4–2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एस. गर्ग)
सदस्य

(अशोक कुमार सांवरिया)
सदस्य